विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डा. मान सिंह् यादव, मा.सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-32 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
32 (क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज व झाँसी मण्डल के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2022 से 22 मई, 2023 तक कब-कब जहरीली शराब की रोकथाम हेतु अपने-अपने जनपदों के किन-किन स्थानों पर निरीक्षण किया गया?	प्रयागराज प्रभार के अंतर्गत आने वाले जनपदों- प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ एवं झाँसी प्रभार के अन्तर्गत आने वाले जनपदों- झाँसी, ललितपुर एवं जालौन के जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा 01 जनवरी, 2022 से 22 मई, 2023 तक जहरीली शराब की रोकथाम हेतु जनपदों के चिन्हित विभिन्न संदिग्ध ग्रामों/स्थलो पर स्वयं एवं अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों द्वारा दबिश/निरीक्षण की निम्नानुसार कार्यवाही की गयी। जनपद प्रयागराज में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2022 से 22 मई, 2023 तक जहरीली शराब की रोकथाम हेतु जनपद के (25) संदिग्ध ग्रामों-छतहरा, संसारपुर, बेली कछार, चकमदा, बलापुर, वहद, कंजासा, स्टेनली रोड, कैथी, नेवादा बछार, बहमलपुर, वैदवार कला, मुसहा, झिरीहरी, थरवई, रसार, तरहार लालापुर, बेलवार जमुनीपुर, कोरांव, हथिगन, दारागंज, अरैल, महेवा कला, तथा बीकर का स्वयं निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों के साथ दी गयी दबिशों में उपरोक्त अवधि में कुल 20,690 छापे मारे गये तथा 2831 अभियोगों को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुये 67554.36 लीटर शराब अपहृत की गयी तथा 581 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 79 अभियुक्तों को जेल भेजा गया तथा 2 वाहन भी जब्त किये गये। जनपद-कौशाम्बी में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2022 से 22 मई 2023 तक जहरीली शराब की रोकथाम हेतु जनपद के (63) ग्रामों-खरका, इटैलीपुर,रामपुर धमावाँ, गाँधीनगर

	मंझनपुर, भेलखा, शाहपुर, बुलावलपुर, थम्बा, चादेंराई, भूपतपुर, समसपुर, भैरावॉं टाडा, बडा गडवा, छिमिरिक्षा, सैदपुर, ओसा, बड़ागॉंव, चिल्ला शहबाजी, चिटकहना, कशिया, भगतन का पुरा, पुरखास, घोघपुर, कोईलहा, बदरी केदार, गडेरियन का पुरवा, लोधन का पुरवा, थम्बा, बुलावलपुर, बेरुआ, मोहिउद्दीनपुर, कानेमई, गोसेमलपुर, भीटापर, सचवारा, छोटी पवईया, अंधावॉं, चायल वार्ड नं.-03, डिहुआ, भदावॉं, अम्बाई बुजुर्ग, सैदपुर,बडा गडवा, घोघपुरा, चरवा, मोहम्मदपुर,मनौरी, गॉंधीनगर भरवारी, मारुफपुर, अलवारा, कटरी, तिल्हापुर गॉंव, केवट पुरवा, कमालपुर, सैंता, कोरीपुर, हाजीपुर पतौना, सराय अकिल, अलीपुर जीता, परशुराम पुरवा, अगियौना, दिवर कोतारी, इन्द्रा नगर का स्वयं निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों एवं मय स्टाफ दी गयी दबिशों में उपरोक्त अवधि में कुल-8640 छापे मारे गये तथा 850 अभियोगों को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुए 17683 ब.ली. अवैध शराब अपहृत की गयी तथा 95 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जनपद फतेहपुर में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2022 से 22 मई, 2023 तक जहरीली शराब की रोकथाम हेतु जनपद के (24) संदिग्ध ग्रामों-धनश्यामपुर डेरा, नोनारा, बेता, कुदेरामपुर, मीरमऊ, छोटेलाल का पुरवा, सेलावन गांव, मीरखपुर खाण्डेदेवर, भदवा, नरायण पुरवा बेरूईहार, बुधइयापुर /दलीपुर, औरई, सांतो, आजादनगर (बहुआ) अचाकापुर, आलेमऊ, एकडला, हरदो, लौहकियापुर, खैरई, चित्तौली, कल्यानपुर कचरौली का स्वयं निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षको एवं मय स्टाफ दी गयी दबिशों के दौरान

	उपरोक्त अवधि में कुल 11245 छापे मारे गये तथा 1804 अभियोगो को सुसगंत धाराओं में पंजीकृत करते हुए 54441.76 ली. अवैध शराब अपहृत की गयी तथा 214 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 160 अभियुक्तों को जेल भेजा गया एवं 02 वाहन भी जब्त किये गये। जनपद प्रतापगढ़ में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2022 से मई, 2023 तक जहरीली शराब की रोकथाम हेतु जनपद के (20) संदिग्ध ग्रामों- रेण्डवीर, पड़वासी, वीरमपुर, घीसा का पुरवा, हीरागंज, महेवा मलकिया, लाला का पुरवा जमेठी, रायपुर भरखी, गोतनी, मुरेठी, हण्डौर, बेहावा, अगई, जेवई, अठेहा, थरिया, भिखारी का पुरवा, देवासा, जमापुर, का स्वयं निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों के साथ दी गयी दबिशों में उपरोक्त अवधि में कुल-13194 छापे मारे गये, तथा 2206 अभियोगों को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर 63430 ली. शराब बरामद की गयी तथा 497 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं 7 वाहन भी जब्त किये गये। जनपद झांसी में जिला आबकारी अधिकारी, झांसी द्वारा जनवरी, 2022 से मई, 2023 तक संयुक्त टीम के साथ दैनिक रूप से दुकानों के निरीक्षण किये गये एवं समय-समय पर अवैध शराब की बिक्री एवं निर्माण की रोकथाम हेतु जनपद के (43) संदिग्ध ग्रामों/स्थानों कटेरा, चैकी बिजौली के पास प्रेमनगर, मारकुआं, गोरामछिया, अशोकनगर, तेंदोल, गरौठा, कल्याणपुरा, सेकरा, बंगरा, जखनवारा, लक्ष्मणपुरा, शिमला, पाड़री, झबरा, बम्हरौली, बुढ़पुरा, राजापुर, फरीदा, भकौरा, दतावली, दातारनगर परबई, रेव, टाकोरी, इटायल, दासना, ककरबई, पनारी, कनेरा, बंकापहाड़ी, नयाखेड़ा, बैंदोरा, सेना, बरूआपुरा, कुम्हार टोली हंसारी, परगहना, रोरा, चण्डीगढ़

	खैलार, महेबा, संतरी, इटौरा, रामनगर का स्वयं निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों एवं मय स्टाफ दी गयी दबिशों के दौरान उपरोक्त अवधि में कुल 7914 छापे मारे गये तथा 1039 अभियोगों को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर 1,06,621.60 लीटर अवैध शराब अपहृत की गयी तथा 403 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 395 अभियुक्तों को जेल भेजा गया एवं 15 वाहन जब्त किये गये। जनपद-ललितपुर में 01 जनवरी, 2022 से दिनांक 22 मई, 2023 तक अवैध/जहरीली शराब की रोकथाम हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद के (9) संदिग्ध ग्रामों-चीरा, मऊमाफी, घटवार, लड़ैयामार-धौर्रा, रजौरा, सिद्ध की टोरिया, उगरपुर, टकटकी एवं गनेशपुरा टपरियन आदि स्थानों का स्वयं निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों एवं मय स्टाफ के साथ दबिशें दी गयी। दबिशों के दौरान उपरोक्त अवधि में कुल 980 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर 47300 ली. अवैध शराब अपहृत की गयी तथा 497 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 301 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। जनपद जालौन में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 22 मई, 2023 तक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद में जहरीली शराब की रोकथाम के लिए जनपद के (15) संदिग्ध ग्रामों/स्थलों- उमरारखेड़ा डेरा, चैरसी डेरा, विरासनीडेरा, कंजड कालोनी, सिरसा कलार डेरा, लहचूरा, घुसियाडेरा, बसोव, गिरवरडेरा, कालपीडेरा, बवीनाडेरा, चैरासीडेरा, सिरसादोगढ़ी, रामपुराडेरा आदि स्थानों का स्वयं निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों एवं मय स्टाफ के साथ हाइवे से गुजरने वाले वाहनों, संदिग्ध ढाबों की चैकिंग एवं मुखबिरी के माध्यम से जनपद में जहरीली शराब की रोकथाम की कार्यवाही गयी। उपरोक्त

	अवधि में कुल 9307 छापे मारे गये तथा 960 अभियोगों को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर 44699.22 ली. अवैध शराब अपहृत की गयी तथा 296 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 22 अभियुक्तों को जेल भेजा गया।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेगें?	उपर्युक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

नितिन अग्रवाल
मंत्री,
आबकारी विभाग।